दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित:27 अगस्त,2021
निर्णित:10 नवम्बर,2021

\+ **आप.वि.वा. 1338/2021 और आप.वि.आ. 7654/2021 (रोक)**

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ...याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अनुपम एस शर्मा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए वि.लो.अभि. के साथ सुश्री सुधा रानी रालंगी, अभियोजन निदेशक-सीबीआई, श्री प्रकाश एरान और सुश्री हरप्रीत कलसी, अधिवक्तागण ।

बनाम

मैसर्स आईएनएक्स मीडिया प्राइ. लिमि. और अन्य ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री शैलेश पोरिया, प्र-1 के लिए अधिवक्ता

श्री सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अक्षत गुप्ता, श्री पंकज सिंघल और सुश्री शुभांगी जैन, प्र-3 के लिए अधिवक्तागण|

श्री प्रमोद कुमार दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री नितिन सलूजा, श्री विकल्प शर्मा और श्री अक्षत शर्मा, प्र-4 के लिए अधिवक्तागण|

श्री विकास पाठक, प्र-7 के लिए अधिवक्ता| श्री कुमार वैभव, श्री हिमांशु गुप्ता, श्री मोह. आसाद, प्र-8 के लिए अधिवक्तागण|

श्री आदित्य वाधवा, श्री सौगात मिश्रा और श्री आयुष श्रीवास्तव, प्र-9 के लिए अधिवक्तागण|

श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता वराज़ मकबूल, श्री अभिनव सेखरी, श्री चंदन कुमार और श्री चैतन्य सुंदरियाल, प्र-10 के लिए अधिवक्तागण|

श्री विकास अरोड़ा और सुश्री राधिका अरोड़ा, एड.प्र-11 के लिए अधिवक्तागण।

श्री संदीप कपूर, श्री मृदुल यादव, श्री अशनीत सिंह आनंद, प्र-13 के लिए अधिवक्तागण|

श्री एन. हरिहरन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ अर्शदीप सिंह खुराना, श्री आयुष अग्रवाल, श्री सिद्धार्थ एस यादव, श्री वरुण देसवाल, सुश्री आकृति जी मित्तल, श्री हर्ष मित्तल, प्र-14 के लिए अधिवक्तागण के साथ|

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता

1. इस याचिका द्वारा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दं.प्र.सं. की धारा 207 के तहत अभियुक्तों द्वारा दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग करते हुए दायर किए गए आवेदनों पर विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित 5 मार्च, 2021 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है|

2. आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने नोट किया कि इन आवेदनों द्वारा मांगे गए दस्तावेज मोटे तौर पर यह थे:-

क. अपर्याप्त दस्तावेज

ख. अस्पष्ट या अपठनीय प्रतियाँ

ग. अधूरे या फटे हुए दस्तावेज

घ. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा न्यायालय में दायर किए गए दस्तावेजों के कुछ हिस्से

ड. जाँच के दौरान जब्त या एकत्र किए गए दस्तावेज, लेकिन न्यायालय में दायर नहीं किए गए

च. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य प्राधिकरण के पत्राचार में या गवाहों के बयानों से संदर्भित या परिलक्षित दस्तावेज

3. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा क्रम सं. (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित दस्तावेजों के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया था| हालाँकि, क्रम सं. (घ), (ङ) और (च) में उल्लिखित दस्तावेज विवादित थे और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का रुख था कि चूंकि आरोप-पत्र में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उन पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए (घ), (ङ) और (च) श्रेणी में उल्लिखित दस्तावेज आरोपी को नहीं दिए जा सकते|

4. आक्षेपित आदेश के अनुसार, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह उन दस्तावेजों के संबंध में सभी पृष्ठों/भागों या पूरे दस्तावेजों की आपूर्ति करे, जिनके कुछ पृष्ठों या कथित दस्तावेजों के कुछ हिस्सों अर्थात क्रम सं. '(घ)' के दस्तावेज पर भरोसा किया गया है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर किया गया है | क्रम सं. '(ङ)' और '(च)' के दस्तावेजों के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को संदर्भित करते हुए और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अपराध) की नियमावली, 2020 के उपखंड 12.32 पर भी भरोसा करते हुए जो न्यायालय के आदेशों पर सीबीआई के मालखाना में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है,

विद्वान विशेष न्यायाधीश ने लिखित प्राधिकार के माध्यम से विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता या उनके सहयोगियों को आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अपराध) के नियमावली के खंड 12.32 में निहित प्रावधानों और नियमावली के अन्य खंडों व इस विषय से जुड़े निति, दिशानिर्देशों और नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मालखाना में पड़े मामले के अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दी| संबंधित पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मालखाना के प्रभारी अधिकारी को किसी जिम्मेदार अधिकारी की सीधी निगरानी में निरीक्षण की सुविधा के लिए अपेक्षित और जिम्मेदार कर्मचारी को तैनात करने के लिए निर्देश दे | मामले के एचआईओ या आईओ को भी उक्त निरीक्षण के समय उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था ताकि ऐसे दस्तावेजों की प्रकृति और प्रासंगिकता का पता लगाने में सुविधा हो सके| न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अभिलेखों की सुरक्षा को बनाए रखा जाना चाहिए और उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ से इंकार किया जाना चाहिए और 10-15 दिनों के भीतर निरीक्षण पूरा किया जाना चाहिए।

5. इसके अलावा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की आशंका को खारिज करने के लिए कि यदि दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी जाती है तो आगे की जाँच में बाधा आ सकती है, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय द्वारा मालखाना में पड़े अभिलेखों के निरीक्षण की यह अनुमति उन दस्तावेजों के संबंध में नहीं होगी जिनके संबंध में सी.बी.आई. द्वारा जाँच अभी भी लंबित है,

जैसा कि आरोप पत्र में ही संकेत दिया गया है और यहां तक कि ऐसे दस्तावेजों से संबंधित गवाहों की भी अभी तक जाँच नहीं की गई है| यह भी नोट किया गया कि यह वाद विषय कि इस आदेश के परिणामस्वरूप अभियुक्त व्यक्तियों को दिया गया कोई दस्तावेज उत्कृष्ट गुणवत्ता का है या अभियोजन के मामले को आरोप के स्तर पर खत्म करने हेतु आरोप की विरचना के स्तर पर विचार करते हुए विचार करने हुए खुला रखने पर विचार किया जा सकता है या नहीं |

6. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रतिविरोध है कि प्रत्यर्थी इस स्तर पर दस्तावेजों के उत्पादन की माँग नहीं कर सकता है क्योंकि कोई भी दस्तावेज जिसे द.प्र.सं. के धारा 91 के तहत पेश किया जाना अपेक्षित है उसे अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा के स्तर पर केवल अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा (2005) 1 एससीसी 568 *उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पढी* में अभिनिर्धारित किया गया है| यहां तक कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा विश्वास किये गए *नित्या धर्मानंद @ के.के.लेनिन व अन्य बनाम श्री गोपाल शीलम रेड्डी* एआईआर 2017 एससी 5846 के रूप में प्रतिवेदित निर्णय में यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित करने के समय अभियुक्त दं.प्र.सं की धारा 91 का उपयोग नहीं कर सकते, हालाँकि, यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि उत्कृष्ट गुणवत्ता के तथ्य है, जिसे अन्वेषक/अभियोजक द्वारा रोका गया है तो उसे न्यायालय द्वारा समन किया जा सकता है| यह कहा गया है कि चूंकि विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही

दं.प्र.सं. के धारा 207 के अनुपालन के स्तर पर है और अभी तक आरोप के स्तर तक नहीं पहुंची है, इसलिए आवेदन में की गई प्रार्थना जिस पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था असामयिक है| इसके अतिरिक्त, यदि विद्वान विशेष न्यायाधीश संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आरोप विरचित करने के मुद्दे पर निर्णायक असर डालता है और यह उत्कृष्ट गुणवत्ता का है, तो न्यायालय इसे आरोप के स्तर पर तलब कर सकता है| इस प्रकार, कथित दस्तावेजों को समन करना विद्वान विशेष न्यायाधीश के दायरे में है और अभियुक्त को मालखाना अभिलेख में दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि आगे की जाँच जारी है, इसलिए आगे की जाँच की प्रभावशीलता से समझौता होगा, इसलिए आरोपी को दस्तावेज़ के किसी भी निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी| इसके अलावा, दं.प्र.सं. के धारा 207 के अनुसार केवल धारा 207 दं.प्र.सं. के खंड (v) में निर्दिष्ट दस्तावेजों जिन पर निर्भर किया गया था को ही अनुमति दी जा सकती है अगर दस्तावेजात ज्यादा है|

7. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए उन दस्तावेजों को स्थानांतरित करना और अलग करना असंभव है, जिनकी जाँच के दौरान बाद में आवश्यकता हो सकती है, हालाँकि, वर्तमान में जाँच के लिए आवश्यक नहीं है| चूंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे सभी आरोपी को उपलब्ध कराए गए हैं, इसलिए उनके

प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा किया गया है और उनके निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं किया गया है| निष्पक्ष विचारण का अधिकार न केवल अभियुक्त के दृष्टिकोण से बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों से भी होना चाहिए। यह दावा किया जाता है कि आक्षेपित आदेश विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 के उल्लंघन में पारित किया गया है और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के *बिहार राज्य व अन्य बनाम जे.ए.सी. सल्दान्हा व अन्य* एआईआर 1980 एससी 326 के रूप में प्रतिवेदित निर्णय पर भरोसा किया गया है| यह आगे कहा गया है कि यहां तक कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो नियमावली के अनुसार आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मालखाना में दस्तावेजों का निरीक्षण केवल दं.प्र.सं. के धारा 207 के परंतुक में उल्लिखित दस्तावेजों के संबंध में हो सकता है और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो नियमावली के पैरा 12.32 में केवल ऐसे निरीक्षण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है| अभियुक्त के पास पुलिस फाइल में प्रत्येक दस्तावेज या यहाँ तक वह भाग भी जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत आख्या में संलग्न दस्तावेजों से अपवर्जित करने की अनुमति है पर दावा करने का कोई अपरिहार्य विधिक अधिकार नहीं है। विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा द्वारा एआईआर 2013 एससी 613 के रूप में प्रतिवेदित *वी. के. ससिकला बनाम राज्य* के निर्णय पर भरोसा जताना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उक्त निर्णय में जिन दस्तावेजों पर हालांकि अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा नहीं जताया गया था, उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(5) के

तहत न्यायालय को अग्रेषित किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वप्रेरणा रि.या.(आप) 1/2017 शीर्षक 'सन्दर्भ में : *आपराधिक विचारण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य में अपर्याप्तताओं और कमियों के बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी करने के मामले में* निर्णय दिनांकित 20 अप्रैल, 2021 जिसे सुनवाई के दौरान सुनाया गया था, का मामले के तथ्यों पर कोई उपयोग नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा जताया गया है, वे भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए याचिका को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए और आक्षेपित आदेश को दरकिनार किया जाना चाहिए।

8. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवाक्तागण प्रस्तुत करते हैं कि आरोप विरचित करने पर विचार करने के स्तर पर, न्यायालय मामले की जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर विचार करने के लिए बाध्य है, चाहे अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया हो अथवा नहीं। जब्त किए गए प्रत्येक दस्तावेज को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। स्वप्रेरणा रि.या.(सि) 1/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत दिशानिर्देश अभिनिर्धारित किए हैं तथा एक दिशानिर्देश जिसे छोड़ दिया गया था यानी सभी अविश्वसनीय सामग्री / दस्तावेजों / बयानों की सूची के संबंध में, अभियुक्त को प्रदान किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। 2014 एससीसी ऑनलाइन डेल 6931 *आशुतोष वर्मा बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो* के रूप में प्रतिवेदित निर्णय पर भरोसा जताते हुए यह प्रतिवाद किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत दस्तावेजों की संवीक्षा

के स्तर पर भी, न्यायालय को अभियुक्त को सभी दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है, भले ही अभियोजन पक्ष ने उन पर भरोसा न जताया हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 सहपठित धारा 207/208 का संयुक्त पठन यह स्पष्ट करता है कि वे दस्तावेज जो अन्वेषण के दौरान दंडाधिकारी को अग्रेषित किए गए हैं, वो अभियुक्त व्यक्ति को उन दस्तावेजों के अतिरिक्त दिए जाने हैं जिन पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा जताया है। बिना प्रतिकूल प्रभाव के, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दस्तावेजों की आपूर्ति में चयनात्मक होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है; क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पहले से ही उन अविश्वसनीय दस्तावेजों की आपूर्ति कर दी है, जो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मालखाना में रखे गए उन अविश्वसनीय दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं करने का विकल्प चुनते हुए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किए गए हैं। अविश्वसनीय दस्तावेजों के दो सेटों के बीच कोई अंतर नहीं है अर्थात् एक जिन्हें न्यायालय के समक्ष रखा गया है और दूसरा जिन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मालखाना में रखा गया है, प्रत्यर्थीगण को कम से कम उक्त अविश्वसनीय दस्तावेजों के निरीक्षण के हकदार हैं। यह केवल निरीक्षण पर है कि दस्तावेजों की प्रासंगिकता और उत्कृष्ट गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो नियमावली स्वयं न्यायालय को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मालखाने में पड़े दस्तावेजों का निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करती है और इस संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो नियमावली, 2005 के खंड 13.28 पर भरोसा

जताया गया है जिसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो नियमावली, 2020 में खंड 12.32 के रूप में फिर से नामकरण किया गया है। आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं होने के कारण, याचिका खारिज की जाए।

9. वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा काफी हद तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा रि.या.(आप) 1/2017 में निपटाया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक विचारण में अपर्याप्तताओं और कमियों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए और जब उन आवश्यक प्रारूप नियमों को स्वीकृति दी गई, जो जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों के संबंध में थे और अभियोजन पक्ष द्वारा इन पर भरोसा नहीं किया गया और इस प्रकार अभियुक्त को उनकी प्रति की अनुमति नहीं दी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुछेद 11 में निम्नानुसार नोट कियाः

> "11. न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि विचारण के प्रारंभ में, अभियुक्तों को केवल उन दस्तावेजों और बयानों की सूची प्रदान की जाती है जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करता है और उन्हें अन्य तथ्य के बारे में अंधेरे में रखा जाता है, जो पुलिस या अभियोजन पक्ष के पास हो सकती है, जो दोषमुक्त प्रकृति की हो सकती है, या अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकती है या उसकी मदद कर सकती है। इस न्यायालय की राय है कि दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 207/208 के तहत बयानों, दस्तावेजों और सामग्री वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करते समय पीसी, दंडाधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य तथ्यों की एक सूची, (जैसे कि बयान, या जब्त की गई वस्तुएं / दस्तावेज, लेकिन जिन पर भरोसा नहीं किया गया है) अभियुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यदि अभियुक्त का विचार है कि ऐसी तथ्यों को उचित और न्यायसंगत विचारण के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उचित आदेश, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायहित में विचारण के दौरान उनको पेश करने की मांग कर सकता है। तदनुसार यह निर्देशित किया जाता है; प्रारूप नियमों को तदनुसार संशोधित किया जाता है। [नियम 4 (i)] "

10. आगे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 को फुटनोट में उद्घृत करना निर्णय के अनुछेद 11 में दिए गए निर्देशों के अनुसार इस कारण से योग्य नहीं ठहराया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विद्वान न्यायालय मित्र के सुझाव के उत्तर में बताया कि पुलिस या अभियोजन पक्ष के पास ऐसे तथ्य हो सकते है जो दोषमुक्ति की प्रकृति की है, या अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकती है या उसकी सहायता कर सकती है, हालांकि अभियुक्त को उक्त सामग्री के विषय में अंधेरे में रखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 207/208 के तहत बयानों, दस्तावेजों और महत्वपूर्ण वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करते समय, दंडाधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य सामग्रियों की एक सूची (जैसे कि जब्त किए गए बयान, या वस्तुएं / दस्तावेज, लेकिन जिन पर भरोसा नहीं किया गया है) अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि अभियुक्त का विचार है कि ऐसी सामग्री एक उचित और न्यायसंगत विचारण के लिए पेश की जानी आवश्यक है, तो वह विचारण के दौरान उन्हें पेश करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उचित आदेश की मांग कर सकता/ती है। प्रारूप नियमों को तदनुसार संशोधित किया गया और प्रारूप नियमों की प्रभावकारिता पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को आदेश की तारीख अर्थात् अप्रैल 2020 से छह महीने के भीतर आपराधिक विचारण को नियंत्रित करने वाले नियमों के भाग के रूप में उक्त प्रारूप नियम 2021 को शामिल करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो यह दलील नहीं ले सकती कि चूंकि नियमों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए निर्णय के पैरा 11 में निर्धारित दिशा-निर्देश जिनके द्वारा प्रारूप नियमों में संशोधन किया गया था, नियमों को अधिसूचित किए जाने तक कानून की शक्ति नहीं रखेंगे। निर्णय में (1997) 6 एस. सी. सी. 241 विशाका और अन्य बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य के रूप में सूचित किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में, लिंग समानता के मूल मानव अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन और यौन उत्पीड़न और दुरुपयोग की गारंटी और विशेष रूप से कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रावधान करने के लिए एक अधिनियमित कानून की अनुपस्थिति में, सभी कार्य स्थलों या अन्य संस्थानों में उचित पालन के लिए दिशा-निर्देश और मानदंड निर्धारित किए, जब तक कि इस उद्देश्य के लिए एक कानून लागू नहीं किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे और आगे इस बात पर जोर दिया गया कि निर्धारित दिशा-निर्देशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में माना जाना चाहिए। *स्वप्रेरणा रिट (आप.) 1/2017* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निर्देशों को जारी किए गए हैं ताकि एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके, आपराधिक विचारणों के दौरान होने वाली कमियों और आपराधिक कार्यवाहियों में विचारण न्यायालयों द्वारा अपनाई गई कुछ प्रथाओं से हो रही लंबी कार्यवाही की प्रवृत्ति को दूर किया जा सके । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रारूपित और अधिसूचित किए जाने के लिए निर्देशित आपराधिक कार्यप्रणाली के प्रारूप नियम 2020 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के विपरीत नहीं थे। केन्द्रीय अन्वेषण

ब्यूरो के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 का उल्लंघन है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है, इस कारण से खारिज किए जाने के योग्य है कि प्रारूप नियम किसी भी तरह से प्रतिकूल या दं.प्र.सं. के प्रावधानों के विपरीत नहीं थे।

12. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता द्वारा *बिहार राज्य और अन्य बनाम जे.ए.सी सल्दान्हा एवं अन्य* (उपर्युक्त) पर भरोसा किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रहा था, जिसने दंडाधिकारी के आदेश को स्थगित रखते हुए, आगे की जाँच किए जाने की प्रतीक्षा में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति को रद्द कर दिया था। इन तथ्यों के प्रकाश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधीक्षण की सामान्य शक्ति, यदि परिस्थितियां आवश्यक हों तो आगे जाँच का निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति को सम्मिलित करेगी और दंड प्रक्रिया संहिता में इसके विपरीत कुछ भी नहीं है, ताकि इस शक्ति को सीमित किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि धारा 173 की उपधारा (8) आगे के जाँच का निदेश देने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का स्रोत नहीं है, यह धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत किए जाने के बाद भी एक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को आगे का जाँच करने में सक्षम बनाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि राज्य सरकार के पास आगे की जाँच का निदेश देने की अन्य

शक्ति है, तो इसे दं.प्र.सं. की धारा 173 (8) के द्वारा न तो कम किया गया है, न ही सीमित किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है। इन तथ्यों के प्रकाश में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस विभाग द्वारा से कार्यपालिका के लिए विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्र है, जिस पर पर्यवेक्षण राज्य सरकार के पास निहित है। एक बार जब यह जाँच करता है और पाता है कि एक अपराध किया गया है, तो अपराध साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य एकत्र करना इसका कर्तव्य है। एक बार जब वह पूरा हो जाता है और जाँच अधिकारी न्यायालय से संहिता की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है।

13. वर्तमान मामले में न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने और दस्तावेजों की पूर्ति की प्रक्रिया में होने के बाद, धारा 207 दं.प्र.सं. के तहत आवेदन दायर किए गए हैं। जिसमें एक निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने के लिए, विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है कि उस स्तर पर यह न तो असंबद्ध दस्तावेजों की प्रासंगिकता का निर्णय ले रहा था और न ही इस पर कि क्या वे उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे।

14. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विद्वान अधिवक्ता ने *देवेंद्र नाथ पाधी (उपर्युक्त)* में फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया है। उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

ने स्पष्ट किया कि इसके सामने मुद्दा दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अभिखंडित करने के लिए अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के बारे में नहीं था। जहां याचिका के साथ, अभियुक्त कठोर गुणवत्ता का स्पष्ट साक्ष्य दाखिल कर सकता है और उस आधार पर अभिखंडित की मांग कर सकता है, लेकिन अभियुक्त द्वारा आरोप तय करने के स्तर पर सामग्री प्रस्तुत करने के लिए दावा किए गए अधिकार के बारे में। वर्तमान मामले में, आरोपी अपना कोई दस्तावेज अपने आप पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन दस्तावेजों का निरीक्षण और मांग करना चाहते हैं जो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कब्जे में हैं और उन्हें न्यायालय से वापस लिया जा रहा है।

15. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का आगे का तर्क यह है कि दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत दस्तावेजों की मांग की जा सकती है। केवल बचाव के स्तर पर और इसलिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कब्जे में और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मालखाना में रखे गए अविश्वसनीय दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग करने का स्तिथि नहीं आई है। यह एक सामान्य कानून है कि एक अभियुक्त न केवल बचाव पक्ष के साक्ष्य का नेतृत्व करके बल्कि अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह करते समय भी बचाव का निर्माण कर सकता है। इसके अलावा, एक दस्तावेज जो प्रासंगिक है और उच्च कोटि का है आरोप विरचित करते समय न्यायालय द्वारा देखा जा सकता है और न्यायालय को आरोप विरचित करने के चरण पर उक्त दस्तावेज को मंगाने या उस पर भरोसा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से वर्जित नहीं किया गया है, यदि वह उच्च कोटि का है और आरोप विरचित करने के मुद्दे पर उसका

महत्वपूर्ण प्रभाव है। अतः, आरोप विरचित करते समय अभियुक्त न्यायालय के ध्यान में ला सकता है कि जांच के दौरान बरामद किया गया और जांच एजेंसी द्वारा वापस रखा गया एक दस्तावेज, जिसका अवलंब नहीं लिया गया है, प्रासंगिक है और अभियोजन के मामले पर तभी असर डालता है केवल जब अभियुक्त उक्त दस्तावेज से अवगत हो।

16. निर्विवाद रूप से, ऐसे दस्तावेजों के निरीक्षण का आदेश पारित करते समय, जिनका अवलंब नहीं लिया गया है, न्यायालय अभियुक्त के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने और साथ ही आगे के अन्वेषण की पवित्रता को बनाए रखने के लिए भी, यदि आगे का अन्वेषण किया जाना है, के प्रतिस्पर्धी हित के बीच संतुलन बनाने के लिए बाध्य है। इस न्यायालय के समक्ष केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए विद्वान अधिवक्ता का मामला यह है कि चूंकि आगे की जांच चल रही है, इसलिए आरोपी या उनके प्रतिनिधियों को मलखाना में रखे दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देना जांच में बाधा डालेगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वत विचारण न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह सभी पृष्ठों/उनके भाग की प्रतियां या संपूर्ण दस्तावेज अभियुक्त व्यक्तियों को सौंपे, दस्तावेजों के संबंध में केवल कुछ पृष्ठों या दस्तावेज के हिस्से का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवलंब लिया जा रहा था। उन दस्तावेजों के संबंध में, जो न्यायालय में दाखिल नहीं किए गए हैं, विद्वत विचारण न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को उक्त दस्तावेजों को न्यायालय में पेश करने का निर्देश

नहीं दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त व्यक्तियों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मलखाना में रखे उक्त दस्तावेजों का निरीक्षण करने की और यह पता लगाने की कि क्या ऐसा कोई दस्तावेज उनके बचाव के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण है या अभियोजन के मामले को ध्वस्त न्यायाधीशने के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता का है, अनुमति दी जाती है तो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएंगी और निरीक्षण करने के बाद इन अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता न्यायालय को इन दस्तावेजों का विवरण बताएंगे ताकि उनकी प्रतियां उन्हें प्रदान की जा सकें।

17. आक्षेपित आदेश द्वारा, विद्वत विचारण न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति उन दस्तावेजों के संबंध में नहीं थी जिनके संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच अभी भी लंबित थी। इसलिए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की यह आशंका कि निरीक्षण आगे की जांच में बाधा डालेगा, पूरी तरह से अनुचित है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इस समय आगे की जांच के लिए कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, इसका पूर्व-निर्धारण नहीं कर सकती है। वर्तमान मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और इस प्रकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का यह दावा कि उसे नहीं पता है कि आगे की जांच के लिए कौन सा दस्तावेज प्रासंगिक होगा, अनुचित है।

18. (2012) 9 एससीसी 771 वी.के.शशिकला बनाम राज्य के रूप में प्रकाशित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक समान विशेषता का उल्लेख किया कि एक आपराधिक मामले में जांच के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेजों की जब्ती होती है और यह कि जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और धारा 173 दं.प्र.सं. के तहत आख्या प्रस्तुत करने से पहले, जांच अधिकारी दस्तावेजों के दो समूह यानी अर्थात एक जो अभियोजन मामले का समर्थन करता है और दूसरा जो अभियुक्त का समर्थन करता है, पर अपना ध्यान लगाने के लिए बाध्य है, तथापि ऐसी स्थिति की कल्पना करना असंभव नहीं है जहां वे दस्तावेज, जो अभियुक्त के पक्ष में हैं, न्यायालय को अग्रेषित नहीं किए जाते हैं, भले ही उक्त मामले में प्रार्थना न्यायालय को भेजे गए दस्तावेजों परंतु अभियोजन द्वारा अवलंब न लिये गए, के संबंध में थी ।

19. इसके अलावा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अपराध) नियमावली 2020 का खंड 12.32 भी न्यायालय के आदेश पर मलखाना में रखे गए दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस प्रकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (अपराध) नियमावली 2020 का खंड 12.32 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण करने के अभियुक्त के अधिकार को मान्यता देता है।

20. पूर्वोक्त चर्चा और सुओ मोटो रि.या.(आप.) सं. 1/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, इस न्यायालय को विद्वत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई कमजोरी नहीं मिली है।

21. याचिका और आवेदन खारिज किए जाते हैं।

22. आदेश इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

मुक्ता गुप्ता न्यायाधीश

10 नवम्बर,2021
'जीए'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*